-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप 03 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई मृत्युदण्ड व 65 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2025 में थाना चिल्ला क्षेत्र अन्तर्गत 03 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मृत्युदण्ड व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि चिल्ला क्षेत्र का रहने वाला सुनील कुमार निषाद द्वारा दिनांक 03.06.2025 को 03 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर जंगल मे फेक दिया था जहां इलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त को तत्काल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस संबंध में बच्ची के पिता मोहन निषाद की तहरीर पर थाना चिल्ला पर मु0अ0सं0 75/25 धारा 137(2)/127(2)/66/65(2)/103बीएनएस व 6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री रामदिनेश तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन कर दिनांक 14.07.2025 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम व श्री शिवपूजन सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी अभिजीत के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय सत्र न्यायधीश बांदा द्वारा आज दिनांक 08.09.2025 को मृत्युदण्ड की सजा व कुल 65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. सुनील कुमार निषाद पुत्र लोटन निवासी चकला थाना चिल्ला जनपद बांदा।

अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 75/25 धारा 137(2)/127(2)/66/65(2)/103 बीएनएस व 6 पॉक्सो एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।